

अनुमति की शर्तें ।

- (i) नगर नगर/पंचायत के विभाग की स्वीकृत व्यक्ति नियत नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (आर्थिक, राजस्व, अधिकार) का अन्तर्गत होने की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विभाग किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नगर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आगे के विभाग को सुविधा करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगर के विधेय विभाग माने जाने पर स्वीकृत विभाग को जा सकती है ।

श्वल सिट्टी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी-4
आवासीय

आवेदन क्रमांक 252 दिनांक 04/02/2021
 प्राप्ति गोविन्द लाल जोधपुर 375 श्री विद्या लाल जोधपुर
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 प. No. 23-C-92 चौकसनी हाइवे, नई
 चार गज (7) (10) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु नगर निगम कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11354/- (एग)
 जसिगे रसीद नम्बर 2663/1853, 1854
 दिनांक 02/02/2021 को जमा करा है ।

रवि जयसिंह
 सहायक नगर निरीक्षक
 नगर निगम, जोधपुर

Received
जोधपुर
 9/2/21

(Govind Lal Mathur)
 16/30/2021
गोधपुर